राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर, दिनांक 10.08.2006

समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिवगण,
समस्त सम्भागीय आयुक्तगण,
समस्त विभागाध्यक्षगण (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में मौसमी बीमारियों और मलेरिया की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग के प्रशासनिक तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.6.2005 को जारी की गई है। इस अधिसूचना द्वारा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशक (परिवार कल्याण) को चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, प्रमुख चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य जिला स्तरीय राजसेवकगण के संदर्भ में तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने तक की शक्तियां प्रदान की गई है, जो दिनांक 31.03.2006 तक प्रभावी थी।

वर्तमान परिस्थितियॉ भी मौसमी बीमारियों के संदर्भ में पूर्व अनुसार ही है, अतः राज्य सरकार ने समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2006 द्वारा पुनः अधिसूचना प्रसारित कर दी है, जो दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी रहेगी।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारी राजसेवकगण का दुराचरण/गंभीर लापरवाही इस प्रकार की है कि उनका सार्वजनिक हित में निलम्बन किया जाना आवश्यक हो तो उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2006 द्वारा सशक्त किये गये प्राधिकारीगण उन्हें निलम्बित नहीं करें और इस संदर्भ में उनके लिए यह आवश्यक होगा कि अधिकारी/राजसवेकगण के अनुशासनिक प्राधिकारी को निलम्बन हेतु जांच प्रस्तावों सहित प्रकरण तत्काल अग्रेषित किया जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्यस्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण के लिए निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियॉ राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में निहित है और अन्य अधिनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनुशासनिक प्राधिकारी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इत्यादि होते है, उन्हे निलम्बन संबंधी प्रकरण प्रेषित किया जाना होगा।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

शासन उप सचिव